(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

KB-2, New Delhi
Dated: 27th March, 2026

NOTIFICATION

No.10-1/2026-U.3(A): Whereas, Homi Bhabha National Institute (Institution deemed to be University), Mumbai had uploaded its application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra in the name of Advanced Centre for Treatment Research & Education in Cancer (ACTREC) as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No. 35-5/2026 (CPP-I/DU) dated 27.02.2026, informed that the Chairman, UGC constituted a Standing Committee to examine the application. The Committee had recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Homi Bhabha National Institute, Mumbai with certain conditions. Accordingly, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 02.03.2026 to Homi Bhabha National Institute, Mumbai for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus centre at Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra in the name of Advanced Centre for Treatment Research & Education in Cancer (ACTREC).

3. **And further whereas**, the Registrar, Homi Bhabha National Institute (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra vide his letter dated 11.03.2026, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. UGC, vide letter No. F. 35-5/2026 (CPP-I/DU) dated 24.03.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee and approved by Chairman, UGC.

4. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Homi Bhabha National Institute, Mumbai to start an off-campus Centre at Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra in the name of Advanced Centre for Treatment Research & Education in Cancer (ACTREC).

5. Homi Bhabha National Institute, Mumbai shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel No.: 011-24015038

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, Department of Atomic Energy, OYC Building, C.S.M. Marg, Mumbai 400 001.
2. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
3. The Vice-Chancellor, Homi Bhabha National Institute, Mumbai, Maharashtra.
4. The Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Maharashtra, Mumbai.
5. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
6. The Secretary, National Medical Commission (NMC), Pocket- 14 , Sector – 8, Dwarka Phase -1, New Delhi – 110077, INDIA
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
9. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
10. PS to Hon'ble EM
11. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No.:011-24014923

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली
दिनांक: 27 मार्च, 2026

अधिसूचना

सं. 10-1/2026-यू.3(अ): जबकि, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (सम विश्वविद्यालय संस्थान), मुंबई ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय, संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार कैंसर के लिए एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन (एसीटीआरईसी) के नाम से खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड किया था।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 27.02.2026 के अपने पत्र संख्या 35-5/2026 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अध्यक्ष, यूजीसी ने आवेदन की जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया। समिति ने कुछ शर्तों के साथ होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। तदनुसार, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, कैंसर के लिए एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन (एसीटीआरईसी) के नाम से खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को दिनांक 02.03.2026 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

3. **और आगे** जबकि, कुलसचिव, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र ने दिनांक 11.03.2026 के अपने पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए यूजीसी को अग्रेषित किया गया। यूजीसी ने दिनांक 24.03.2026 के पत्र सं एफ. 35-5/2026 (सीसीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से, सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई।

4. **अब, इसलिए**, शिक्षा मंत्रालय एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई को कैंसर के लिए एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन (एसीटीआरईसी) के नाम से खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने की मंजूरी देता है।

पृ.फ.

5. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (ओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

पूर्णेन्दु बनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-24015038

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

<u>प्रति अग्रेषित</u>:

1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, ओवाईसी बिल्डिंग, सीएसएम मार्ग, मुंबई 400 001.
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. कुलपति, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई।.
4. सचिव, तकनीकी और उच्चतर शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070।
6. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), पॉकेट- 14, सेक्टर - 8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली - 110077, भारत
7. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
9. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस इकाई को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर अधिसूचना प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए।
10. माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव
11. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष: 011-24014923